

प्रारंभिक परीक्षा

केवल संसद ही संवैधानिक रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है

संदर्भ

राज्यसभा के सभापति ने कहा है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संवैधानिक रूप से हटाने का अधिकार केवल संसद को है।

हटाने की प्रक्रिया के बारे में - संसद द्वारा

- किसी न्यायाधीश को "सिद्ध कदाचार या अक्षमता" के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
- यद्यपि संविधान में "महाभियोग" शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग आमतौर पर अनुच्छेद 124 (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) और अनुच्छेद 218 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) के तहत निष्कासन प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के अनुसार):

- **महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत: (अधिनियम की धारा-3 के तहत)**
 - महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है:
 - **लोकसभा: कम से कम 100 सदस्यों** द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस की आवश्यकता होती है।
 - **राज्यसभा: कम से कम 50 सदस्यों** द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस की आवश्यकता होती है।
 - **अध्यक्ष** (लोकसभा के लिए) या **सभापति** (राज्यसभा के लिए) प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले व्यक्तियों से परामर्श कर सकते हैं तथा प्रासंगिक सामग्री की जांच कर सकते हैं।
- **जांच समिति का गठन:**
 - यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष या सभापति आरोपों की जांच के लिए **तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे**। समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - **भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (समिति के प्रमुख)**
 - **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश**
 - **एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (अध्यक्ष/सभापति की राय में)**
- **आरोप तय करना:** समिति आरोप तय करती है और उसकी एक प्रति न्यायाधीश को देती है, जो लिखित बचाव प्रस्तुत कर सकता है।
- **समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना:** जांच पूरी करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती है।
 - इसके बाद रिपोर्ट संसद के संबंधित सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
- **प्रस्ताव पर विचार:** यदि रिपोर्ट में दुर्व्यवहार या अक्षमता का सबूत मिलता है, तो निष्कासन के प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जाता है और उस पर बहस की जाती है।
- **प्रस्ताव का स्वीकृत होना:** प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में निम्नलिखित द्वारा पारित किया जाना चाहिए:
 - उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत।
 - उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
 - यदि प्रस्ताव एक सदन में पारित हो जाता है तो उसे अनुमोदन के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है।
- **राष्ट्रपति का आदेश:** जब दोनों सदन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं।

- निष्कासन प्रस्ताव को छोड़कर, विधायिका किसी न्यायाधीश के कदाचार पर चर्चा नहीं कर सकती।

स्रोत: [The Hindu - Removal of HC Judge](#)



मणिपुर में राष्ट्रपति शासन

संदर्भ

मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी की।

राष्ट्रपति शासन के बारे में -

राष्ट्रपति शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 355:** केंद्र का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य कि प्रत्येक राज्य की सरकार 'संविधान के प्रावधानों' के अनुसार चले।
- **अनुच्छेद 356:** राष्ट्रपति यह घोषणा जारी कर सकता है कि राज्य की सरकार 'संविधान के प्रावधानों' के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। (राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ या उसके बिना कार्य कर सकता है)।
- **अनुच्छेद 365:** केंद्र के निर्देशों का पालन करने में राज्य सरकार की विफलता → राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य सरकार 'संविधान के प्रावधानों' के अनुसार नहीं चल सकती → राष्ट्रपति शासन

- **अनुमोदन:** संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है।
- **अवधि:** दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है।
 - इसे अधिकतम तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है (प्रत्येक 6 माह पर संसद की मंजूरी)।
- **निरसन:** राष्ट्रपति की घोषणा (संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है)।

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव -

- राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य का प्रशासन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है।
- राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित कर सकते हैं।
- इससे उच्च न्यायालय के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- राष्ट्रपति किसी राज्य विधानसभा को केवल संसद द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन के बाद ही भंग कर सकते हैं, और तब तक विधानसभा निलंबित रहती है। (एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय)

तथ्य

- **अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाते समय किया गया था।**
- संसद, राष्ट्रपति या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी लागू रहते हैं। यानी, राष्ट्रपति शासन की अवधि के साथ कानून सह-सीमावर्ती नहीं होते हैं।
 - हालांकि ऐसे कानूनों को राज्य विधायिका द्वारा बदला या निरस्त किया जा सकता है।
- **मणिपुर में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन - 11 (नवीनतम सहित) लागू हुआ है।**

स्रोत: [The Hindu - President Rule](#)

ईरान ने हमला होने पर परमाणु स्थलों का पुनर्निर्माण करने की कसम खाई

संदर्भ

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रमुख ईरानी स्थलों पर संभावित इजरायली हमले की अमेरिकी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, हमला होने की स्थिति में परमाणु सुविधाओं का पुनर्निर्माण करने की प्रतिज्ञा की है।

ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाएं -

- **नातान्ज़ परमाणु सुविधा: यूरेनियम संवर्धन**
 - **स्थान:** इस्फ़हान प्रांत
 - **महत्व:** ईरान के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों में से एक। यहाँ यूरेनियम संवर्धन के लिए हजारों सेंटीप्यूज हैं।
- **फ़ोर्डो फ़्यूल एनरिचमेंट प्लांट (FFEP): यूरेनियम संवर्धन**
 - **स्थान:** क़ोम के निकट, एक पहाड़ के अंदर गहराई में दबा हुआ।
 - **महत्व:** हवाई हमलों के विरुद्ध अत्यधिक सुदृढ़। मूलतः गुप्त, लेकिन 2009 में पश्चिमी खुफिया विभाग द्वारा इसका खुलासा किया गया।
- **अरक हेवी वाटर रिएक्टर (IR-40): प्लूटोनियम उत्पादन**
 - **स्थान:** मर्कज़ी प्रांत
 - **महत्व:** प्लूटोनियम का उत्पादन किया जा सकता है, जिसका उपयोग परमाणु हथियारों में किया जा सकता है।
- **बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र: नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन**
 - **स्थान:** दक्षिणी ईरान, फ़ारस की खाड़ी के पास
 - **महत्व:** ईरान का एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रूसी सहायता से निर्मित।



स्रोत: [The Hindu - Iran Nuclear Sites](#)

अरब लीग(Arab League)

संदर्भ

हाल ही में अरब लीग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गाजा स्थानांतरण योजना को अस्वीकार्य बताते हुए उसे खारिज कर दिया है।

अरब लीग के बारे में -

- अरब लीग (अरब राज्यों की लीग) मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) में 22 अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है।
- इसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है।
- गठन: 22 मार्च, 1945 (छह संस्थापक सदस्यों द्वारा: मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया)।
- मुख्यालय: काहिरा, मिस्र
- सदस्य देश: 22
 - उत्तरी अफ्रीका: अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया
 - मध्य पूर्व: बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया (2011 में निलंबित), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यमन
 - हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका: सोमालिया, जिबूती, कोमोरोस
 - पर्यवेक्षक राज्य: भारत, ब्राज़ील, वेनेजुएला, इरिट्रिया।

प्रमुख संस्थाएं एवं समझौते

- अरब लीग परिषद: मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था।
- आर्थिक और सामाजिक परिषद: व्यापार और आर्थिक एकीकरण को संभालती है।
- अरब संसद: विधायी सहयोग के लिए 2001 में स्थापित।
- अरब शांति पहल (2002): फ़िलिस्तीन-इज़राइल संघर्ष के लिए दो-राज्य समाधान का प्रस्ताव।

स्रोत: [The Hindu - Arab League](#)

उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का पता लगाना

संदर्भ

वैज्ञानिकों ने एक उन्नत वेधशाला का उपयोग करके सिसिली के पास भूमध्य सागर के नीचे एक उच्च-ऊर्जा ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का पता लगाया।

न्यूट्रिनो के बारे में -

- न्यूट्रिनो एक प्रकार के उपपरमाण्विक कण(Subatomic Particle) हैं।
- उनमें विद्युत आवेश नहीं होता। उनका द्रव्यमान छोटा होता है और वे लेफ्ट-हैंडेड हैं;
 - लेफ्ट-हैंडेड(Left-Handed): एक भौतिकी शब्द जिसका अर्थ है कि इसकी घूर्णन की दिशा इसकी गति की दिशा के विपरीत होती है।
- वे फोटॉन (प्रकाश के कण) के बाद दूसरे सबसे प्रचुर कण हैं तथा पदार्थ बनाने वाले कणों में सबसे प्रचुर हैं।
- वे उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं जैसे तारों के अंदर और सुपरनोवा में उत्पन्न होते हैं।
- पृथ्वी पर, इनका उत्पादन कण त्वरक और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा किया जाता है।
- इनका पता लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि विद्युत आवेश की कमी के कारण ये अन्य प्रकार के पदार्थों के साथ मुश्किल से ही अंतःक्रिया करते हैं।




यह खोज महत्वपूर्ण क्यों है?

- चरम ब्रह्मांडीय घटनाओं का पता लगाना: ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो वैज्ञानिकों को ब्लैक होल गतिविधि और सुपरनोवा जैसी दूरस्थ और हिंसक घटनाओं का अध्ययन करने में मदद करते हैं।
- ब्रह्मांड में एक नई खिड़की: प्रकाश के विपरीत, जिसे ब्रह्मांडीय धूल और गैस द्वारा बिखराया या अवशोषित किया जा सकता है, न्यूट्रिनो अपने स्रोतों से बिना किसी बाधा के यात्रा करते हैं। यह चरम ब्रह्मांडीय घटनाओं पर एक प्रत्यक्ष और स्पष्ट नज़र प्रदान करता है।
- प्रारंभिक ब्रह्मांड को समझना: न्यूट्रिनो बिग बैंग से मूल्यवान जानकारी लेकर आते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलती है।

दुनिया भर में न्यूट्रिनो वेधशालाएँ

- **आइसक्यूब:** दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, यह सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। यह 2,500 मीटर ज़मीन के नीचे दबा हुआ है और इसमें आइसटॉप नामक एक सरफेस ऐरे और डीपकोर नामक एक इनर सब डिटेक्टर है।
- **सुपर-कामीओकांडे:** जापान के कामीओका में स्थित यह वेधशाला 11,200 लाइट डिटेक्टरों से घिरी 50,000 टन शुद्ध पानी का उपयोग करती है।
- **ग्रान सासो राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ (LNGS):** इटली में ग्रान सासो पहाड़ों में स्थित है।
- **भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला:** मोंट ब्लांक, फ्रांस/इटली में स्थित है।
- **डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट (DUNE):** दक्षिण डकोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।

स्रोत: [Indian Express - High Energy Neutrino](#)



राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की शुरुआत की है।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) 2.0 के बारे में -

- **NBM 2.0 का उद्देश्य कई लक्षित पहलों के माध्यम से ग्रामीण, दूरदराज और कठिन इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चुनौतियों का समाधान करना है:**
 - **सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देना:** दूरदराज के क्षेत्रों में जहां फाइबर नेटवर्क स्थापित करना कठिन है, वहां हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए सैटेलाइट प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।
 - **कनेक्टिविटी के लिए विद्युत क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का उपयोग:** ब्रॉडबैंड विस्तार के लिए ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (OPGW) का उपयोग करने के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ समन्वय।

NBM 2.0 के मुख्य उद्देश्य:

- **ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार:**
 - **ग्राम कनेक्टिविटी:** शेष 1.7 लाख (170,000) गांवों को जोड़ने का लक्ष्य, दूरदराज और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
 - **ऑप्टिकल फाइबर कवरेज:** 2030 तक 2.7 लाख (270,000) गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) कनेक्टिविटी का विस्तार करना।
- **इंटरनेट स्पीड में वृद्धि:**
 - न्यूनतम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 100 एमबीपीएस प्राप्त करना, जो वर्तमान औसत 63.55 एमबीपीएस से उल्लेखनीय वृद्धि है।
- **सामर्थ्य और समावेशिता:**
 - सामाजिक-आर्थिक विभाजन को पाटने के लिए किफायती ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल संसाधन सभी नागरिकों के लिए सुलभ हों।
- **संस्थागत संपर्क:**
 - यह सुनिश्चित करना कि 2030 तक 90% प्रमुख संस्थानों, जैसे स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और आंगनवाड़ी केन्द्रों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच हो।

स्रोत: [PIB - NBM 2.0](#)


समाचार संक्षेप में

डोकरा कलाकृति

- हाल ही में फ्रांस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को एक अत्यंत सावधानी से तैयार की गई डोकरा कलाकृति भेंट की, जिसमें जड़ाऊ पत्थरों से सुसज्जित संगीतकारों को दर्शाया गया है।

डोकरा धातु शिल्प के बारे में -

- डोकरा धातु शिल्प, लुप्त-मोम तकनीक (सिरे-पेड्यू) का उपयोग करके धातु ढलाई का एक प्राचीन रूप है।
- यह प्रथा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड में डोकरा दामर जनजाति द्वारा प्रचलित है।
- यह कला 4,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है।
- मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध "नृत्य करती लड़की" मूर्ति इस तकनीक का एक उदाहरण है।



डोकरा कला की मुख्य विशेषताएं

- प्रकृति से प्रेरित रूपांकन: पशु, पक्षी, वृक्ष और देवता।
- जनजातीय एवं लोक प्रभाव: जनजातीय लोगों, ग्रामीण जीवन और धार्मिक प्रतीकों की मूर्तियाँ।
- अद्वितीय डिजाइन: हस्तनिर्मित प्रक्रिया के कारण कोई भी दो डोकरा टुकड़े समान नहीं हैं।

स्रोत: [TOI - Dokra](#)

जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI)

- भारत 1993 से 2022 तक चरम मौसम की घटनाओं से शीर्ष 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है।

जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI) के बारे में -

- इसका प्रकाशन जर्मनवाच (बॉन और बर्लिन स्थित एक स्वतंत्र विकास, पर्यावरण और मानवाधिकार संगठन) द्वारा किया जाता है।
- यह एक सूचकांक है, जो चरम मौसम के कारण होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान को दर्शाता है, तथा सबसे अधिक प्रभावित देश को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है।
- पहली बार प्रकाशित: 2006 में

जलवायु जोखिम सूचकांक - 2025


- CRI 2025 में 1993-2022 के दौरान भारत को छठा सबसे अधिक प्रभावित देश माना गया है।
- भारत को तीन दशकों में 400 से अधिक चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ और कम से कम 80,000 लोगों की मृत्यु हुई।
- भारत से आगे के देश: डोमिनिका, चीन, होंडुरास, म्यांमार और इटली।

स्रोत: [Hindustan Times - CRI](#)

नॉर्डिक-बाल्टिक आठ (NB-8) देश

- NB-8 एक क्षेत्रीय सहयोग प्रारूप है जिसमें पांच नॉर्डिक देश और तीन बाल्टिक देश शामिल हैं।
- यह समूह उत्तरी यूरोप में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
- सदस्य देश:
 - नॉर्डिक देश: डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन।
 - बाल्टिक देश: एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया।
- NB-8 देशों में स्वीडन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

स्रोत: [PIB - NB-8](#)



संपादकीय सारांश

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

संदर्भ

लंबित मुकदमों - विशेषकर आपराधिक अपीलों - के निपटारे के लिए उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देने का सर्वोच्च न्यायालय का हाल का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है।

पक्ष में तर्क

- **लंबित मामलों में तत्काल राहत:** उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक लंबित मामलों के साथ, अतिरिक्त न्यायिक जनशक्ति लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों के समाधान में तेजी लाने में मदद कर सकती है।
- **मिसाल और संवैधानिक समर्थन:** संविधान का अनुच्छेद 224A तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, और 2021 के **लोक प्रहरी बनाम भारत संघ** मामले ने इसकी वैधता की पुष्टि की।
- **नियमित नियुक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं:** चूंकि तदर्थ न्यायाधीश पदोन्नति या स्थायी न्यायिक पदों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति वर्तमान उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति में हस्तक्षेप नहीं करती है।
- **न्यूनतम राजनीतिक संवेदनशीलता:** चूंकि तदर्थ न्यायाधीशों द्वारा राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को निपटाने की संभावना नहीं होती, इसलिए सरकारी अनुमोदन को महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता।
- **जेलों पर बोझ कम करना:** आपराधिक अपीलों में तेजी लाने से विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करके जेलों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिल सकती है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ


- **सरकारी सहयोग और विलंब:** तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए कार्यकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और न्यायिक नियुक्तियों में विगत में हुई देरी से पता चलता है कि यह एक बाधा बन सकती है।
- **न्यायिक अवसंरचना और सहायक कर्मचारी:** न्यायालयों को पहले से ही संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तदर्थ न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त न्यायालय कक्ष, स्टेनोग्राफर और कानूनी शोधकर्ता सुनिश्चित करना उनकी प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है।
- **योग्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को आकर्षित करना:** कई सेवानिवृत्त न्यायाधीश बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन के कारण मध्यस्थता या निजी प्रैक्टिस को प्राथमिकता देते हैं। जब तक आकर्षक भत्ते नहीं दिए जाते, तब तक योग्य न्यायाधीशों को वापस लाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **संभावित प्रक्रियागत बाधाएँ:** सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया को बोज़िल पाया है। इसे सुव्यवस्थित करना - अनावश्यक खुफिया मंजूरी के बिना - समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- **न्यायिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताएँ:** हालांकि तदर्थ न्यायाधीश एक निश्चित अवधि के लिए कार्य करते हैं, लेकिन विधिक बिरादरी में उनके पिछले जुड़ाव और निजी प्रैक्टिस में संभावित वापसी से निष्पक्षता पर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

निष्कर्ष

न्यायिक लंबित मामलों, खास तौर पर आपराधिक अपीलों को संबोधित करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एक व्यावहारिक अल्पकालिक उपाय है। हालांकि, इसकी सफलता त्वरित सरकारी कार्रवाई, पर्याप्त बुनियादी ढांचे और यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है कि योग्य न्यायाधीश इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं। लंबे समय

में, लंबित मामलों को स्थायी रूप से संबोधित करने के लिए न्यायिक नियुक्तियों, केस प्रबंधन और डिजिटलीकरण में संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।

स्रोत: [The Hindu: Is appointing ad-hoc judges a viable means to reduce backlog?](#)



चिकित्सा शिक्षा का समस्याग्रस्त वैश्वीकरण

संदर्भ

- चिकित्सा शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य विरोधाभास से भरा हुआ है: चिकित्सा प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकारी और पेशेवर प्रतिरोध के साथ-साथ चिकित्सा डॉक्टरों की भारी कमी भी मौजूद है।
- इस स्थिति के कारण मेडिकल छात्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता बढ़ गई है, तथा अपने देश में सीमित अवसरों के कारण कई छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

भारत में चिकित्सा अध्ययन में चुनौतियाँ -

- **सीमित मेडिकल सीटें और उच्च प्रतिस्पर्धा:** लगभग 2.3 मिलियन छात्र प्रतिवर्ष NEET परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन 22 में से केवल 1 को ही प्रवेश मिल पाता है।
 - सरकारी मेडिकल सीटें सीमित हैं और निजी कॉलेज अत्यधिक फीस वसूलते हैं, जिससे छात्र विदेश में अध्ययन करने के लिए मजबूर होते हैं।
- **विदेशी चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता संबंधी चिंताएं:** कई भारतीय छात्र रूस, युद्ध-पूर्व यूक्रेन, चीन और फिलीपींस जैसे देशों में अध्ययन करते हैं, जहां शिक्षा की गुणवत्ता में भिन्नता है।
 - भारत में प्रैक्टिस करने के लिए स्नातकों को विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) उत्तीर्ण करना आवश्यक है, लेकिन उत्तीर्ण होने की दर अभी भी कम है।
- **विनियामक और बुनियादी ढांचे संबंधी मुद्दे:** भारत को मेडिकल कॉलेजों में संकाय और बुनियादी ढांचे की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
 - कई नव स्थापित मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त अस्पताल सुविधाओं और अनुभवी संकाय का अभाव है।
- **ग्रामीण-शहरी स्वास्थ्य सेवा विभाजन:** अधिकांश मेडिकल स्नातक बेहतर सुविधाओं और वेतन के कारण शहरी क्षेत्रों में नियुक्ति को प्राथमिकता देते हैं, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अविकसित रह जाती है।
 - सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए बंधुआ सेवा की आवश्यकताएं अक्सर लागू नहीं होतीं।
- **इंटरनशिप और रेजीडेंसी संबंधी बाधाएं:** मेडिकल स्नातक होने के बाद भी इंटरनशिप और स्नातकोत्तर रेजीडेंसी सीटें हासिल करना अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बना रहता है।

वैश्विक चुनौतियाँ

- **अंतर्राष्ट्रीय छात्र गतिशीलता और गुणवत्ता भिन्नताएं:** 2,00,000 से अधिक छात्र अपने देश के बाहर चिकित्सा की पढ़ाई करते हैं, अक्सर ऐसे संस्थानों में जहां प्रशिक्षण मानक संदिग्ध होते हैं।
 - पोलैंड और हंगरी जैसे यूरोपीय देश अमेरिकी और यूरोपीय छात्रों को आकर्षित करते हैं, जबकि कैरेबियाई देश अमेरिकी उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं।
- **विदेशी मेडिकल स्कूलों में विनियामक अंतराल:** कई अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल स्कूल लाभ कमाने वाले संस्थान हैं जिन पर न्यूनतम निगरानी होती है।
 - भाषा संबंधी बाधाएं और सांस्कृतिक समायोजन भी छात्रों के सीखने के अनुभव को प्रभावित करते हैं।
- **लाइसेंसिंग और मान्यता संबंधी बाधाएं:** मेडिकल स्नातकों को अपने देश में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंसिंग परीक्षा (जैसे, अमेरिका में यूएसएमएलई, भारत में एफएमजीई) उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
 - विभिन्न देशों में मान्यता के मानक अलग-अलग हैं, जिससे विदेशी प्रशिक्षित डॉक्टरों के लिए अपने घरेलू स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में एकीकृत होना कठिन हो जाता है।
- **विकसित देशों में मेडिकल सीटों की कमी:** नॉर्वे, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में मेडिकल सीटें सीमित हैं, जिससे छात्रों को मध्य और पूर्वी यूरोप में अध्ययन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

- डॉक्टरों की कमी के कारण विदेशी प्रशिक्षित पेशेवरों पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे कौशल मानकीकरण को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

चिकित्सा शिक्षा पर हालिया बजट घोषणाएं (केंद्रीय बजट 2025)

- **मेडिकल सीटों में वृद्धि:** सरकार ने पिछले दशक में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर सीटें जोड़ी हैं, जो 130% की वृद्धि दर्शाती है।
 - 2026 में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें शुरू करने की योजना है।
- **दीर्घकालिक विस्तार योजना:** सरकार ने डॉक्टरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पांच वर्षों में 75,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

निष्कर्ष

जबकि भारत सरकार चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए कदम उठा रही है, विदेशी चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता नियंत्रण और लाइसेंसिंग बाधाओं जैसी चुनौतियाँ अभी भी महत्वपूर्ण हैं। सीमित सीटों और उच्च लागत के कारण विदेशों में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों का वैश्विक रुझान घरेलू चिकित्सा संस्थानों में बेहतर नियामक ढांचे और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को उजागर करता है।

Source: [The Hindu: The problematic globalisation of medical education](#)



विस्तृत कवरेज

जलवायु परिवर्तन

संदर्भ

नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) द्वारा इस सप्ताह जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे गर्म जनवरी दर्ज किया गया था।

जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है?

- यह वैश्विक या क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न में दीर्घकालिक बदलावों को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों के कारण होता है।
- इसकी विशेषता वैश्विक तापमान में वृद्धि, मौसम के पैटर्न में परिवर्तन, तथा चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति है।

जलवायु परिवर्तन के कारण

प्राकृतिक कारण

- **ज्वालामुखी विस्फोट:** बड़े विस्फोटों से धूल और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों निकलती हैं, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करके पृथ्वी को अस्थायी रूप से ठंडा कर देती हैं।
- **सौर परिवर्तनशीलता:** सौर विकिरण में परिवर्तन सदियों से पृथ्वी के जलवायु चक्रों को प्रभावित करते हैं।
- **महासागरीय धाराएँ:** अल नीनो और ला नीना जैसी घटनाएँ वैश्विक तापमान और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं।
- **पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन (मिलनकोविच चक्र):** पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में परिवर्तन दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं।
- **प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव:** जल वाष्प और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न CO₂ पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन समय के साथ इसमें उतार-चढ़ाव हो सकता है।

मानव-प्रेरित कारण


- **जीवाश्म ईंधन जलाना:** कोयला, तेल और गैस CO₂ उत्सर्जित करते हैं, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव तीव्र होता है।
- **वनों की कटाई:** वनों को काटने से CO₂ का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे वायुमंडल में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है।
- **औद्योगिक और कृषि गतिविधियाँ:** कारखाने कार्बन उत्सर्जित करते हैं, जबकि पशुपालन मीथेन (CH₄) उत्पन्न करता है।
- **शहरीकरण और भूमि उपयोग में परिवर्तन:** शहरों का विस्तार वनस्पति को कम करता है और ऊष्मा द्वीप प्रभाव में योगदान देता है।
- **प्रदूषण और अपशिष्ट:** लैंडफिल से मीथेन गैस निकलती है और प्लास्टिक प्रदूषण से पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

वैश्विक

- **बढ़ता वैश्विक तापमान:** ग्रीनहाउस गैस सांद्रता में वृद्धि के कारण वैश्विक सतह के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- **उदाहरण** के लिए, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S) द्वारा 2024 को विश्व स्तर पर रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष होने की पुष्टि की गई है, और पहला कैलेंडर वर्ष है जब औसत वैश्विक तापमान अपने पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है।



- **कृषि:** जलवायु परिवर्तन से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता प्रभावित होती है और कीटों का आक्रमण बढ़ता है, जिससे फसल की वृद्धि और उत्पादकता प्रभावित होती है।
 - **उदाहरण के लिए,** 2100 तक वैश्विक औसत तापमान में 2°C की वृद्धि वर्तमान कृषि प्रणालियों को महत्वपूर्ण रूप से बाधित कर सकती है।
- **चरम मौसम की घटनाएं:** वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन के कारण सूखा और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ गई है।
- **पशुधन उत्पादन:** जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि के कारण पशुधन की उत्पादकता में कमी आती है तथा चारा, रोग प्रबंधन और पानी जैसी सामग्रियों की उपलब्धता, गुणवत्ता और कीमतों में परिवर्तन होता है।
- **जल संसाधन:** पानी का बढ़ता तापमान प्रदूषण को बढ़ाता है और जलीय आवासों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। वाष्पोत्सर्जन बढ़ने से कुछ जल निकाय सिकुड़ जाते हैं।
- **समुद्र-स्तर में वृद्धि:** जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को खतरा हो रहा है, मीठे पानी के संसाधनों का खारापन बढ़ रहा है, तथा मिट्टी की लवणता बढ़ने के कारण कृषि को नुकसान पहुंच रहा है।
 - **उदाहरण के लिए,** 1880 के बाद से वैश्विक औसत समुद्र स्तर लगभग 8-9 इंच (21-24 सेंटीमीटर) बढ़ गया है, और हाल के दशकों में वृद्धि की दर तेज़ हो गई है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता:** जलवायु परिवर्तन से कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं और जल संसाधनों में अम्लीकरण बढ़ सकता है।
- **मानव स्वास्थ्य:** जलवायु परिवर्तन से हीटस्ट्रोक और वेक्टर जनित रोगों की घटनाओं में वृद्धि होकर मानव स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है।
 - **उदाहरण के लिए,** विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2030 और 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और तापजन्य तनाव से प्रति वर्ष लगभग 250,000 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं।

भारत पर प्रभाव

- **चरम मौसम की घटनाएँ:** हीटवेव, बाढ़, सूखे और चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि।
 - **उदाहरण के लिए,** हिमाचल प्रदेश में 2023 की मानसून बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में जनहानि हुई तथा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा।

- **बढ़ता तापमान और हीटवेव:** अधिक लगातार, लंबे समय तक चलने वाली और गंभीर हीटवेव।
 - **उदाहरण के लिए,** दिल्ली में 2024 में 52.9°C तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान है।
- **कृषि व्यवधान:** अप्रत्याशित मानसून, मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन से फसल की पैदावार प्रभावित होती है।
 - **उदाहरणार्थ,** 2023 में गर्मी के कारण पंजाब की गेहूं की पैदावार में गिरावट आई।
- **जल की कमी:** भारत का 54% भाग उच्च से चरम जल संकट का सामना कर रहा है (विश्व संसाधन संस्थान)।
 - उदाहरणार्थ: हिमालय के ग्लेशियरों के सिकुड़ने से नदी जल आपूर्ति को खतरा है।
- **समुद्र-स्तर में वृद्धि और तटीय क्षरण:** मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे तटीय शहरों के लिए खतरा।
 - **उदाहरणार्थ,** सुन्दरवन का भूभाग नष्ट हो रहा है, जिससे स्थानीय समुदाय प्रभावित हो रहे हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी खतरे:** वेक्टर जनित रोगों (मलेरिया, डेंगू) के मामलों में वृद्धि।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन

- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी):** जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक वार्ता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी):** जलवायु नीतियों को निर्देशित करने के लिए वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और आकलन प्रदान करता है।

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते

- **पेरिस समझौता (2015):** इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से नीचे सीमित रखना है।
- **क्योटो प्रोटोकॉल (1997):** विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी की प्रतिबद्धताएं स्थापित की गईं।

वैश्विक जलवायु कार्यक्रम

- **REDD और REDD+:** वनों की कटाई और वन क्षरण से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए बाज़ार-आधारित तंत्र।
- **स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम):** यह विकसित देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं में निवेश करने में सक्षम बनाता है।
- **सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी):** विशेष रूप से एसडीजी-13, जो जलवायु कार्रवाई और लचीलेपन पर केंद्रित है।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय पहल

- **तकनीकी नवाचार:** नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस), और हरित बुनियादी ढांचे में प्रगति को प्राथमिकता दी जा रही है।
- **जन जागरूकता अभियान:** अर्थ आवर जैसी वैश्विक पहल जलवायु चेतना को बढ़ावा देती है और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार की पहल

- **नीति एवं कार्य योजनाएँ**
 - **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी):** राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और हरित भारत मिशन सहित आठ मिशन।
 - **जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी):** राज्य स्तर पर जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियाँ।
- **हीटवेव प्रबंधन एवं आपदा तैयारी**

- **ताप कार्य योजना (एचएपी):** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 250 से अधिक एचएपी विकसित की गई।
 - प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संशोधित कार्य घंटों और शीतलन आश्रयों पर ध्यान केंद्रित करें।
- **हीटवेव शमन और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा (2024):** तैयारी और शमन के लिए दीर्घकालिक रणनीति।
- **सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (CAP):** बेहतर हीटवेव अलर्ट और पूर्व चेतावनी।
- **जल प्रबंधन पहल**
 - **जल जीवन मिशन:** सभी ग्रामीण परिवारों के लिए पाइप द्वारा पेयजल सुनिश्चित करना।
 - **कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत):** शहरी जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - **कैच द रेन अभियान:** छत पर वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा एवं उत्सर्जन में कमी**
 - **राष्ट्रीय सौर मिशन:** 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य।
 - **इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण (FAME):** कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए EV को बढ़ावा देता है।
 - **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना:** उद्योगों को ऊर्जा खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता संरक्षण:**
 - **जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी):** कृषि, वानिकी और जल संसाधन में परियोजनाओं का समर्थन करता है।
 - **वनरोपण परियोजनाएं (हरित भारत मिशन, कैम्पा):** वन आवरण बढ़ाने और कार्बन पृथक्करण पर ध्यान केंद्रित करना।

स्रोत: [Indian Express: The Heat of the Moment](#)